

भारत सरकार  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-3214  
उत्तर दिनांक 11/03/2026 को दिया गया

**परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए रेल और सड़क पहुंच मार्ग**

3214. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) क्या रावतभाटा सहित देश में विभिन्न परमाणु विद्युत संयंत्रों (एनपीपी) के लिए सड़क और रेल पहुंच मार्गों की स्थिति अपर्याप्त है या कई स्थानों पर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है;
- (ख) यदि हां, तो सभी परमाणु विद्युत संयंत्रों के आस-पास उपलब्ध सड़क और रेल संपर्क की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने आपात स्थिति के दौरान इन परमाणु संयंत्रों तक शीघ्र पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई अवसंरचना उन्नयन योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) किसी अप्रिय घटना या आपदा की स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए वर्तमान में मौजूद ऑन-साइट और ऑफ-साइट आपातकालीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) से (ग) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के लिए स्थलों का चयन विस्तृत अध्ययन के बाद किया जाता है जिसमें परिवहन अवसंरचना, भारी उपकरणों की आवाजाही हेतु पहुंच की सुविधा और आपातकालीन प्रतिक्रिया आवश्यकताओं का आकलन शामिल होते हैं। इन संयंत्रों तक सड़क या रेल मार्ग से पहुंच की किसी अपर्याप्त व्यवस्था की सूचना नहीं मिली है। यदि उनके सुदृढीकरण की कोई आवश्यकता होती है तो संबंधित राष्ट्रीय / राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर पूरा किया जाता है।
- (घ) संयंत्रों के प्रचालन की शुरुआत से पहले ही सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थलों पर नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एक विस्तृत आपातकालीन तैयारी योजना मौजूद है। योजना, आपातकाल की घोषणा की अप्रत्याशित घटना में किए जाने वाले कार्यों और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारियों का निर्धारण करती है।

(ड) एनपीपी प्रचालक और जिला प्राधिकारियों द्वारा स्थल विशेष पर स्थापित व्यवस्थाओं का परीक्षण करने के लिए नियमित आपातकालीन अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। फुकुशिमा घटना के बाद, स्थल-बाह्य आपातकालीन अभ्यास की संपूर्ण व्यवस्था की समीक्षा की गई और परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से, एक नई अभ्यास व्यवस्था विकसित कर लागू की गई। यह एनआरई प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करने के लिए नाभिकीय सुविधाओं द्वारा किए जाने वाले तीन प्रकार के स्थल-बाह्य आपातकालीन अभ्यासों की परिकल्पना करता है। ये टेबल टॉप अभ्यास (TTE<sub>x</sub>), मॉक अभ्यास – नाभिकीय एवं विकिरण आपात स्थिति (एमई-एनआरई) और एकीकृत कमांड नियंत्रण एवं प्रतिक्रिया (आईसीसीआर) अभ्यास हैं। प्रत्येक अभ्यास का अलग-अलग उद्देश्य और आवृत्ति निर्धारित है। प्रचालक की निर्णय लेने की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए, ईआरबी की निगरानी में प्रचालक द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार TTE<sub>x</sub> किया जाता है। ईआरबी और एनडीएमए के पर्यवेक्षण में प्रचालक और जिला प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आईसीसीआर अभ्यास किया जाता है, ताकि विभिन्न हितधारकों के बीच समग्र तैयारी और समन्वय का परीक्षण किया जा सके।

\*\*\*\*\*